रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

सत्यमेव जयते

एस.जी.-डी.एल.-अ.-23042026-272002
SG-DL-E-23042026-272002

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 103]	दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 20, 2026/चैत्र 30, 1948	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 11
No. 103]	DELHI, MONDAY, APRIL 20, 2026/CHAITRA 30, 1948	[N. C. T. D. No. 11

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय

अधिसूचना

दिल्ली, 20 अप्रैल, 2026

फा0 सं0 1/आईटीआई(3)/भर्ती नियम/2019/491— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 840 के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 15 नवम्बर, 2016 की अधिसूचना संख्या फा0 21/67/टीआरजी. प्रशा0/2006/850 द्वारा अधिसूचित शिल्प अनुदेशक, अनुदेशक (ड्राइंग), अनुदेशक (मिलराइट), अनुरक्षण मैकेनिक, अनुरक्षण इलेक्ट्रीशियन, तकनीकी सहायक (कनिष्ठ) के पद हेतु भर्ती नियम के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या विलोप की जाने वाली बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल संघ लोक सेवा आयोग से पूर्व परामर्श के पश्चात्, एतद् द्वारा प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधीन प्रशिक्षण विंग में शिल्प अनुदेशक, अनुदेशक (ड्राइंग), अनुदेशक (मिलराइट), अनुरक्षण मैकेनिक, अनुरक्षण इलेक्ट्रीशियन, तकनीकी सहायक (कनिष्ठ) के पद की भर्ती पद्धति के संबंध में निम्नलिखित भर्ती नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ** :— (i) इन नियमों को शिल्प अनुदेशक, अनुदेशक (ड्राइंग), अनुदेशक (मिलराइट), अनुरक्षण मैकेनिक, अनुरक्षण इलेक्ट्रीशियन, तकनीकी सहायक (कनिष्ठ) भर्ती नियमावली, 2025 कहा जाए।

   (ii) ये आधिकारिक राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. **अनुप्रयोग** :– ये नियम इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 01 में निर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर** :– पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा तथा अन्य योग्यता** :–उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

5. **अयोग्यता** :–वह व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; अथवा

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह की संविदा कर चुका है, वह उक्त पदों में से किसी पर भी नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं, तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को इन नियमों के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

6. **शिथिल करने की शक्ति** :– जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को छूट दे सकती है।

7. **बचाव**:– इन नियमों में केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर	क्या चयन पद या गैर चयन पद है	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
शिल्प अनुदेशक, अनुदेशक (ड्राइंग), अनुदेशक (मिलराइट), अनुरक्षण मैकेनिक, अनुरक्षण इलेक्ट्रीशियन, तकनीकी सहायक (कनिष्ठ)	775* (2025) *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, अलिपिकीय, अराजपत्रित, समूह 'ख'	वेतन स्तर–6 अभ्युक्ति : वेतन मैट्रिक्स में (रुपये 35,400–1,12,400/–)	चयन पद	21 से 30 वर्ष तक (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसरण में सरकारी कर्मचारियों के लिए 05 वर्ष तक शिथिलनीय) **टीप** :– आयु सीमा निर्धारण हेतु निर्णायक तिथि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड/सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाविज्ञापित होगी।

सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए शैक्षिक तथा अन्य योग्यता।	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत
7	8	9	10
अनिवार्य : **शिल्प अनुदेशक, अनुदेशक (ड्राइंग) हेतु (अभियांत्रिकी/गैर–अभियांत्रिकी ट्रेड हेतु)**: – **क**. एआईसीटीई/यूजीसी से मान्यता प्राप्त अभियांत्रिकी कॉलेज/विश्वविद्यालय से अभियांत्रिकी/तकनीकी की उपयुक्त शाखा में व्यवसायिक शिक्षा में स्नातक/डिग्री, अपेक्षित योग्यता प्राप्त करने के पश्चात् प्रासंगिक क्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव।	**आयु** : नहीं **शैक्षिक योग्यता** : हाँ कॉलम नम्बर 11 में संकेतिक सीमा तक	2 वर्ष **सीधी भर्ती हेतु टीप** :– परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूर्ण करने हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथानिर्धारित कम से कम दो सप्ताह की अवधि का	95 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, 5 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा

या एआईसीटीई/यूजीसी से मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड से अभियांत्रिकी/तकनीकी की उपयुक्त शाखा में तीन वर्ष का डिप्लोमा या डीजीटी से प्रासंगिक एडवांस डिप्लोमा (व्यवसायिक), अपेक्षित योग्यता प्राप्त करने के पश्चात् प्रासंगिक क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव। या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से राष्ट्रीय/राज्य ट्रेड प्रमाण पत्र (एनटीसी/एसटीसी) या राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र (एनएसी), अपेक्षित योग्यता प्राप्त करने के पश्चात् प्रासंगिक क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव। और **ख.** डीजीटी के अन्तर्गत किसी भी प्रकार का प्रासंगिक राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र (एनसीआईसी)। **अनुदेशक (मिलराइट)/ अनुरक्षण मैकेनिक/तकनीकी सहायक (कनिष्ठ) हेतुः** (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड/संस्थान से यांत्रिक अभियांत्रिकी में तीन वर्ष का डिप्लोमा और (ii) अपेक्षित योग्यता प्रााप्त करने के पश्चात् शिक्षण में/प्रासंगिक औद्योगिक इकाई/संगठन में कार्य करने का दो वर्ष का अनुभव। **अनुरक्षण इलेक्ट्रीशियन हेतुः** (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड/संस्थान से विद्युत अभियांत्रिकी में तीन वर्ष का डिप्लोमा; और (ii) अपेक्षित योग्यता प्रााप्त करने के पश्चात् शिक्षण में/प्रासंगिक औद्योगिक इकाई/संगठन में कार्य करने का दो वर्ष का अनुभव। **टीप 1**: शिल्प अनुदेशक (ट्रेडवार) की कुल पद में से 50 प्रतिशत पद राष्ट्रीय/राज्य ट्रेड प्रमाण पत्र (एनटीसी/एसटीसी) या राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र (एनएसी) जैसी व्यवसायिक योग्यता रखने वाले व्यक्तियों से भरे जाएंगे और 50 प्रतिशत पद संबंधित ट्रेड की उपयुक्त शाखा में डिग्री/डिप्लोमा जैसी व्यवसायिक योग्यता रखने वाले व्यक्तियों से भरे जाएंगे। यद्यपि, ऐसे ट्रेड में समस्त उम्मीदवारों के लिए एनसीआईसी आवश्यक है, जहां एनसीआईसी हेतु सीआईटीएस के अन्तर्गत कोर्स उपलब्ध हैं। **टीप 2**: यदि डिग्री/डिप्लोमा वाले सीआईटीएस प्रशिक्षित शिल्प अनुदेशक (एनसीआईसी) उपलब्ध नहीं हैं, तो डीजीटी के दिनांक 03.07.2019 के आदेश के अनुसार डीजीटी की दिशा–निर्देशों के अनुसार अनुदेशक को सीआईटीएस (एनसीआईसी) योग्यता में छूट दी जायेगी लेकिन यह योग्यता (एनसीआईसी) उसे सरकारी आईटीओटी में कम से कम 3 माह के भौतिक प्रशिक्षण से गुजरने के पश्चात् परिवीक्षा अवधि के भीतर प्राप्त करनी होगी। यद्यपि, पहली प्राथमिकता सीआईटीएस ट्रेंड प्रशिक्षित अनुदेशकों को दी जाएगी। **टीप 3**: अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में लिखित में कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए योग्यताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय है। **टीप 4**: यदि चयन की किसी अवस्था में सक्षम प्राधिकारी के अभिमत से अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों के उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है, तो अनुभव संबंधी योग्यता (योग्यताएं) कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय है।		प्रेरण प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।	

यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है।	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है।	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।
11	12	13
पदोन्नति : ग्रेड में 18 साल की नियमित सेवा सहित वेतन मैट्रिक्स स्तर–2 (19900–63200/–रुपये) में प्रशिक्षण विंग में कार्यरत विभागीय कार्यशाला परिचर तथा जिनके पास कम से कम निम्न योग्यता हो: (i) शैक्षणिकः किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन। (ii) तकनीकीः किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ बोर्ड/संस्था से संबंधित ट्रेड की उपयुक्त शाखा में अभियांत्रिकी/तकनीकी में तीन वर्ष का डिप्लोमा। या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से राष्ट्रीय/राज्य ट्रेड प्रमाण पत्र/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र । **टीप 1**: जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है; वे पदोन्नति के लिए विचारणीय है, उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे; बशर्ते कि अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा से न्यून न हो, आधे से अधिक हो अथवा दो (02) वर्ष, इनमें से जो भी कम हो तथा उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।	विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति/स्थायीकरण के विचारार्थ) : 1. वित्तीय आयुक्त –**अध्यक्ष** 2. संबंधित विभाग के प्रशासनिक सचिव –**सदस्य** 3. संबंधित विभागाध्यक्ष –**सदस्य** 4. विशेष/अपर सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग) – **सदस्य**	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाना आवश्यक नहीं है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के
आदेश तथा उनके नाम पर,
संजीव आहूजा, सचिव

DIRECTORATE OF TRAINING AN D TECHNICAL EDUCATION

NOTIFICATION

Delhi, the 20th April, 2026

No.F.1/ITI(3)/RR/2019/491.—In exercise of powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India read with Government of India, Ministry of Home Affairs Notification Number G.S.R. 840 dated the 13th July 1959 and in supersession of the recruitment rules for the post of Craft Instructor, Instructor (Drawing),Instructor (Millwright), Maintenance Mechanic, Maintenance Electrician, Technical Assistant (Junior) notified vide notification F.No.21/67/TRG. ADMN/2006/850 dated 15th November 2016, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, after prior consultation with the Union Public Service Commission, is pleased to frame the following Recruitment Rules, regarding the method of recruitment to the post of Craft Instructor, Instructor (Drawing), Instructor (Millwright), Maintenance Mechanic, Maintenance Electrician, Technical Assistant (Junior) in the Training Wing under the Directorate of Training and Technical Education, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:

1. **Short title and commencement:- (i)** These rules may be called the Craft Instructor, Instructor (Drawing),Instructor (Millwright), Maintenance Mechanic, Maintenance Electrician, Technical Assistant (Junior) Recruitment Rules, 2025.

   (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application:-** These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and Level in the Pay Matrix:-** The number of posts, its classification and the Level in the Pay Matrix attached thereto, shall be as specified in column (2) to (4) of the Schedule attached thereto.

4. **Method of Recruitment, Age limit and other qualification:-** The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in column (5) to (13) of the said Schedule.

5. **Disqualifications**:- No person,

(a) Who has entered or contracted marriage with the person having a spouse living, or

(b) Who having a spouse living, has entered into or contracted marriage with any person; shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that Government may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for doing, exempt any person from the operation of these rules.

6. **Power to relax:-** Where the Government of National Capital Territory of Delhi is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, may relax any of the provision of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving:-** Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and other specified category of persons in accordance with orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	Number of Posts	Classification	Pay Level in the Pay Matrix	Whether Selection Post/ Non Selection Post
1	**2**	**3**	**4**	**5**
Craft Instructor, Instructor (Drawing),Instructor (Millwright),Maintenance Mechanic, Maintenance Electrician ,Technical Assistant (Junior)	775* (2025) * Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Non-Ministerial Non-Gazetted Group, B	Level-6 Remark:(Rs. 35400-112400/-) in the Pay Matrix	Selection Post

Age limits for Direct Recruits	Educational and other qualification required for direct recruits	Whether Age & Educational Qualification prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	Period of probation if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
6	**7**	**8**	**9**	**10**
21 Years to 30 Years (Relaxable for Govt. servants up to 05 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) **Note 1:** The crucial date for determining the	**Essential** **For Craft Instructor/ Instructor (Drawing) (For-Engg. / Non-Engg. Trades) : -** **A:** B.Voc/Degree in appropriate branch of Engineering/Technology from AICTE/UGC recognized Engineering College/University with one year experience in the relevant field after acquiring the requisite qualification. **OR** Three years Diploma in appropriate branch of Engineering/Technology from AICTE/UGC recognized board of technical education or relevant Advance Diploma (Vocational) from DGT with two years experience in the	**Age:** No **Educational Qualification:** Yes, to the extent indicated in column No. 11.	2 Years Note for DR: There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of the probation as prescribed by the	95 percent by direct recruitment, 5 percent by promotion.

age limit shall be as advertised by Delhi Subordinate Service Selection Board/ Competent Authority.	relevant field after acquiring the requisite qualification. **OR** National/State Trade Certificate (NTC/STC) or National Apprenticeship Certificate (NAC) in the relevant trade from a recognized Institution with three years experience in the relevant field after acquiring the requisite qualification. **AND** **B:** Relevant National Craft Instructor Certificate (NCIC) in any of the variants under DGT. **For Instructor (Millwright)/Maintenance Mechanic/ Technical Assistant (Junior):** (i) Three years Diploma in Mechanical Engg. from a recognized University/ Board/ Institution and (ii)Two years experience in teaching / working in a relevant industrial unit/organization after acquiring the requisite qualification. **For Maintenance Electrician:** (i) Three years Diploma in Electrical Engg. from a recognized University/ Board/ Institution and (ii)Two years experience in teaching/working in a relevant industrial unit /organization after acquiring the requisite qualification. **Note 1:** 50 percent of the total posts of Craft Instructors (Trade Wise) will be filled up by the persons holding the professional qualification as National / State Trade Certificate (NTC/STC) or National Apprenticeship Certificate (NAC) and 50 percent with the persons holding the professional qualification as Degree/Diploma in appropriate branch of trade concerned. However, NCIC is must for all the candidates in such trades where the courses under CITS for NCIC are available. **Note 2:** In case of CITS trained Craft Instructors (NCIC) with Degree/ Diploma are not available then CITS (NCIC) qualification is relaxed with the instructions to acquire CITS (NCIC) qualification within probation period by the Instructor after undergoing at least 3 months of physical training in Government ITOT in line with DGT guidelines issued vide DGT order dated 03.07.2019. However, first preference will be given to CITS trained instructors. **Note 3:** Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 4:** The qualification (s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the competent authority, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to scheduled caste or scheduled tribes if any at any stage of selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.		Competent Authority.	

In case of recruitment By promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making Recruitment
11	**12**	**13**
Promotion: The Departmental Workshop Attendant of Training Wing working in Level-2 in Pay Matrix (Rs. 19900-63200) with 18 years of regular service in the grade and who possess at least the following qualification (i)Academic: Matriculation from a recognized Board/University. (ii) Technical: Three years Diploma in Engineering/Technology in appropriate branch of trade concerned from a recognized University/ Board/ Institution. OR National /State Trade Certificate/ National Apprenticeship Certificate from a recognized Institute. Note 1: where juniors who have completed their qualifying/ eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/ eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or 2 years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.	Departmental Promotion Committee (for considering Promotion/ Confirmation): 1.FinancialCommissioner -**Chairman.** 2. Administrative Secretary of the concerned Department **- Member.** 3. Head of Department Concerned - **Member.** 4. Special/Addl. Secretary (GAD) **- Member**	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

By Order and in the Name of Lt. Governor
of National Capital Territory of Delhi,

SANJEEV AHUJA, Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA